संपादकीय

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की बिक्री योग्य मात्रा की भविष्य में सुधार होने की संभावना नहीं है क्योंकि विश्व में वातावरण और मौसम अनुकूल नहीं है। उर्वरक के दाम भी बढ़ रहे हैं और मुझे ड़र है कि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि की यह केवल शुरूआत है।

खाद्य सुरक्षा का एकमात्र उपाय कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है और छोटे किसानों के लाभ को बढ़ाया जाए जो भारत की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक है। देशभर में किसानों की नई पीढ़ी आज शिक्षित है और वह पहले के 20 वर्षों की तरह नहीं है और इस सच्चाई को जानती है कि विभिन्न सरकारों प्रत्येक वर्ष बड़े–बड़े वायदे करती हैं किन्तु किसानों को लाभ नहीं होता और इससे किसान भी काफी नाराज हैं।

'भारत की खाद्य चुनौतियों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना' विषय पर कृषि राउंड टेबल के दौरान हमें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। हमने प्रस्ताव दिया कि निजी क्षेत्र कृषि उत्पाद क्षेत्र में अच्छा मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और किसानों को अधिक आय भी अर्जित हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा विषय पर इकोनोमिक टाइम्स के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला था।

'बीज उद्योग के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन' में बीज उद्योग की सामाजिक जिम्मेवारियों पर विचार प्रकट करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। इस वर्ष अच्छी गुणवत्ता के बीज की बहुत अधिक कमी होने की आशंका है।

सरकार मूल्य कम करने का श्रेय लेती है और किसानों या उनकी प्रतिक्रियाओं पर कम ध्यान देती है। हम भारत कृषक समाज की ओर से कुछ प्रयास कर रहे हैं हमारा साथ दें और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में हमें सहयोग दें। 'न तो भारत चमक रहा है' और 'न ही आम आदमी उन्नति कर रहा है'। हमें और मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमें सिस्टम को परिवर्तित करना है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। अब निर्णय करने का समय आ चुका है। क्या आप सहमत हैं ?

गैर बासमती चावल के निर्यात के संबंध में नागपुर में 10 फरवरी, 2011 को श्री धनंजय धार्मिक, सदस्य, भारत कृषक समाज द्वारा आयोजित प्रैस सम्मेलन का विवरण

श्री धनंजय धार्मिक ने भारत सरकार द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति देने का स्वागत किया। किन्तु उन्होंने कहा कि यह बहुत की कम और देरी से हुआ है।

श्री धार्मिक सितम्बर, 2010 से निर्यात के मामले को उठा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के 11,000 धान उत्पादक किसानों के पत्रों को माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह को भेजा जिसमें उन्होंने किसानों की दशा की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि विदर्भ में लगातार वर्षा होने के कारण धान और सोयाबीन तथा कपास की फसल को क्षति हुई और कुछ वस्तुओं की भरमार रही। उन्होंने किसानों और चावल मिल वालों के उस दल का भी नेतृत्व किया जो माननीय वित्तमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी से मिला जो खाद्यान्न निर्यात समिति के अध्यक्ष हैं। श्री मुखर्जी ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

श्री धार्मिक ने कहा कि 1.5 लाख टन चावल का निर्यात कोटा बहुत कम है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2008 में गैर बासमती चावल का निर्यात 60 लाख टन था जब निर्यात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने मांग की गैर बासमती चावल के निर्यात का कोटा 60 लाख टन से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्वी एशिया, अफ्रीकन, मध्य पूर्वी देशों और यूरोप में गैर बासमती चावल की बहुत अधिक मांग है।

श्री धार्मिक ने उल्लेख किया कि सरकार द्वारा 3 किस्मों पर निर्यात प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है जो मुख्यतः दक्षिणी राज्यों में उगाई जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने शेष भारत के किसानों की मांग को पूरी तरह नजरंदाज किया है जिस कारण धान उत्पादक किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनके अनुसार विदर्भ क्षेत्र में ही पिछले 3 महीने में 100 किसानों से अधिक पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। उनका सुझाव है कि भारत सरकार को सभी वर्गों का निर्यात और गैर बासमती चावल की किस्मों को बिना किसी सीमा के निर्यात की अनुमति तब तक दी जाए जब तक धान के मूल्य एक ऊंचे स्तर पर पहुंच कर स्थिर नहीं हो जाते।

श्री धार्मिक का आगे सुझाव है कि व्यक्तिगत निर्यातकों को सीधे निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए न कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से निर्यात की अनुमति, ऐसा करने से निर्यात करने में विलम्ब नहीं होगा।

उन्होंने यह मांग भी की कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा विपणन संघों द्वारा खरीदे गए धान की बकाया राशि का तुरन्त भुगतान किया जाए क्योंकि किसानों को केवल मूल्य का 25 प्रतिशत ही भुगतान किया गया था। यह बकाया राशि महाराष्ट्र के गदचिरौली और गोंदिया जिले के किसानों को 10 करोड़ रू. से अधिक की राशि देय है।

वर्ष 2011 में निर्यात की अनुमति दी जाऐ

'सरकार मूल्यों को कम करने के लिए सदैव कृषि वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है और शहरी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किसानों को हर्जाना भुगतना पड़ता है। प्याज के मूल्यों में कमी करने से इसे समझा जा सकता है, आलू के मूल्यों में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। किसानों ने 4300 रू. की दर से कपास की बिक्री कर दी और अब बाजार भाव 7000 रू. है। ऐसा ही गन्ने के बारे में हुआ, सरकार ने मूल्य कम करने के लिए बड़ी मात्रा में चीनी के आयात की अनुमति दी। कभी–कभी ऐसा होता है कि जिस वस्तु में हमें विजय दिखाई देती है वह वास्तव में खोया हुआ युद्ध होता है। किसान अलग–अलग होते हैं और उनमें एकता नहीं है और न ही भविष्य के लिए उनकी कोई आर्थिक दृष्टि होती है, आने वाली हर सरकार किसानों को मूर्ख बनाती है और ये सरकारें निजी क्षेत्र की तरह कार्य करती हैं जो किसानों को लघु कालिक अवधि का लाभ देने के लिए बहलाती रहती हैं।

वस्तुओं के मूल्य कम करने में 2 विभिन्न समुदायों का आम हित है, ये हैं शहरी मध्य वर्ग जो आंदोलित होता है और उद्योगपति जो पद्वति को प्रभावित कर देते हैं। ये दोनों समुदाय अलग–अलग हैं किन्तु अपने आर्थिक लाभ के लिए वे संबंद्ध समूह के रूप में इक्ट्ठे हो जाते हैं। किसानों के लिए यह सही अवसर है कि वे सभी मिलकर एक हो जाऐं।

उदाहरण के लिए पिछले 2 वर्षों में जब चावल का निर्यात प्रतिबंधित किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के मूल्य 300 अमरीकी डॉलर से बढ़कर 900 अमरीकी डॉलर प्रति टन बढ़े, जबकि भारत में किसान 300 अमरीकी डॉलर पर ही बिक्री करते रहे।

विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक चीन है जो 112 मिलियन टन का उत्पादन करता है, वह भी सूखे का सामना कर रहा है जैसा कि एफ.ए.ओ. और अन्य निजी सूत्रों की विज्ञप्ति में कहा गया है। किन्तु चीन के पास 700 मिलियन टन बफर स्टॉक भी है।

ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ष 26 मिलियन टन गेहूं की बिजाई की थी किन्तु इसमें से 10 मिलियन टन गेहूं वर्षा के कारण खराब हो गया और इसे पशु चारे के रूप में बेचा जाएगा। आज ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का औसत बिक्री मूल्य 375 अमरीकी डॉलर है यह 17 रू. प्रति किलोग्राम बनता है। प्रीमियम हार्ड क्वालिटी (दूरम गेहूं) 486 अमरीकी डॉलर तक है।

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है जो लगभग 82 मिलियन टन उत्पादन करता है, इसका आज कैरी ओवर स्टॉक 16 मिलियन टन है जो मानदण्डों से 4 गुणा अधिक है। इस वर्ष बम्पर फसल होने की सम्भावना है।

पिछले वर्ष में रूस की पहली फसल अच्छी नहीं थी और रूस ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसके बाद यूरोप में मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई तथा इसके पश्चात् ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आई और अब चीन में सूखे का समाचार आया है, इस कारण 8 महीने में गेहूं के मूलय 2 गुणा हो चुके हैं।

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य नाममात्र 11.20 रू. है जो कि विश्व बाजार की तुलना में बहुत ही कम है। चीन और भारत अपनी खपत ही कर सकते हैं जो इन देशों में सामान्य वर्षों में उत्पादन होता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अफवाहें हैं कि चीन में 20 मिलियन टन गेहूं की कमी हो सकती है। इस कारण गेहूं के प्रति टन मूल्य 25 अमरीकी डॉलर से अधिक तक बढ़ जाएंगे। यह लगभग 3 गुणा होगा उस मूल्य से जो भारतीय किसानों को मिलेगा।

सरकार को इस अवसर का उपयोग किसानों को लाभ देने के लिए करना चाहिए। किसानों को विदेशों के बाजारों में माल न भेजने देने का अर्थ उन्हें बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने से वंचित करना है। इस वर्ष हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज की अधिकता होगी और सरकार को समय पर निर्यात की अनुमति देनी चाहिए, इससे पहले कि किसान अपनी फसलों को भारतीय खाद्य निगम या व्यापारियों को बेच दें।'

वित्त मंत्री को 'ग्रामीण उघमिता को प्रोत्साहित' करने की नितियों के लिए सुझाव

हमने माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी को उपरोक्त विषय पर सुझाव दिया है कि आशोधित नीति से कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए राजस्व की कोई हानि नहीं होगी नीति यह है कि कृषि उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय ऋण देने की नीति में परिवर्तन करना होगा।

निम्नलिखित पहलुओं को वर्ष 2011–12 के केन्द्रीय बजट में प्रस्ताव के रूप में शामिल किया जा सकता है जिनसे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और कृषि उत्पादकता भी बढ़गी और देश के गांवों में ठेकेदारों इन्ट्रीप्रिनियोर का एक नया वास्तविक दल भी पैदा हो सकता है। नीचे दिए गए प्रस्तावों से भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार को राजस्व हानि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सुझाई गई परिवर्तित नीति से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में तेजी से सुधार होगा और बदले में न केवल किसानों को बल्कि उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि गांव में बेरोजगार युवकों को स्वयं रोजगार उत्पन्न करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। किसानों को उपकरण खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये किराये पर या लीज पर मिल सकते हैं। यह तभी सम्भव हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित पद्धति अपनाऐं –

'कृषि मैकेनाईजेशन के लिए पुन वितः समर्थन' पर जनवरी 2006 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नेबार्ड द्वारा जारी किए गए संबंधित परिपत्रों में उल्लिखित दिशा निर्देशों शर्तों और निबंधनों में संशोधन किया जाए जिनमें कहा गया है कि –

'ऋण आवेदन पत्र मामले से मामले के आधार पर मूल्यांकित किए जाएंगे और उसमें प्रस्तावित निवेश से होने वाली आय को देखा जाएगा जिसमें सीमा शुल्क सेवा से आय भी होगी अन्य वस्तुओं को अपनाने के साथ–साथ न्यूनतम क्षेत्रफल न्यूनतम कार्य घण्टे तथा निम्नलिखित मानदण्ड भी अपनाया जाएगा –

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं या व्यक्तियों का समूह जिन्हें ऋण संयुक्त ऋण या सामूहिक ऋण स्वीकृत किया गया है उन्हें अपना अपनी उनकी कृषि की सिंचाई के लिए ट्रैक्टर पावर टिलर आदि का उपयोग करना चाहिए। नए पुराने ट्रैक्टर और पावर टिलर के बारे में बैंक स्वयं अपने निर्धारित क्षेत्र मानदण्ड वित देने के लिए जारी कर सकते हैं जिसके लिए न्यूनतम भूमि स्वामित्व सिंचित असिंचित होना चाहिए और उपयोग के न्यूनतम घण्टों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए बशर्ते कि बैंक ऋण से सृजित परिसम्पत्ति की वित्तीय व्यवहारिकता हो।

पावर टिलर के मामले में बैंक सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक वर्ष में कृषि में उत्पादकता कार्य के न्यूनतम 600 घण्टे हों जो कृषि या दोनों कृषि और सीमा शुल्क सेवाओं के अन्तर्गत ऋण लेने वालों के द्वारा उपयोग किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं या व्यक्तियों का समूह जिन्हें संयुक्त ऋण या सामूहिक ऋण स्वीकार किया गया है उन्हें अपना अपनी उनकी खेती पर सिंचाई के लिए ट्रैक्टर पावर टिलर आदि का उपयोग करना चाहिए।'

1.'अपना अपनी उनकी खेती' की सिंचाई की शर्त हटा देनी चाहिए ताकि एक ग्रामीण जिसके पास अपनी भूमि नहीं है वह एक छोटा ट्रैक्टर लेने के लिए बैंक से ऋण ले सके या पावर टिलर खरीद सके और इर उपकरणों को अपने आस–पास के किसानों को किराये पर दे सकें।

2. ट्रैक्टरों के वित्त के लिए नेबार्ड द्वारा निर्धारित 6 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल को भी हटाया जाए और इसे बैंकों के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ देना चाहिए।

3. केवल परिसम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई समर्थक दस्तावेज कोलेटरल की मांग नहीं कि जानी चाहिए।

4. जो लोग ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण किराये पर देने के लिए खरीदते हैं उन्हें दिया जाने वाला पुन वित्त को बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं माइक्रो फाइनेंस इन्सटीटयूशन्स को दिए जाने वाले ऋण के समान माना जाना चाहिए।

नीति में उपरोक्त 4 परिवर्तन करने से भारतीय गांवों की काया पलट हो सकती है। नेबार्ड की नीतियों में आशोधन किया जाए और ग्रामीण एन्टरप्रिनियोर को इस प्रकार के उपकरणों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिन्हें वे बड़ी संख्या में अन्य किसानों को किराये पर दे सकें।

उदाहरण के लिए चीन प्रत्येक वर्ष 3 मिलियन ट्रैक्टर बनाता और बेचता है जबकि भारत केवल 1/10 या वर्ष 3,00,000 ट्रैक्टर ही बना पाता है। यह स्थिति सरकार द्वारा एक सक्षम नीति अपनाने से बदल सकती है जिससे ग्रामीण ठेकेदारों रूरल एन्टरप्रिनियोरशिप को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके साथ–साथ कृषि उत्पादकता में भी सुधार होगा।